भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-301
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

तेलंगाना में सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

†*301. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और इसके उत्तरवर्ती कार्यक्रम, समग्र शिक्षा के अंतर्गत तेलंगाना राज्य सरकार को स्वीकृत और जारी की गई तथा राज्य द्वारा उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केन्द्र सरकार को तेलंगाना सरकार से और अधिक संख्या में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना में पीएम पोषण अभियान के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है और सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

तेलंगाना में सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा के अंतर्गत धनराशि का उपयोग के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री माधवनेनी रघुनंदन राव द्वारा दिनांक 10/08/2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 301 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): वर्ष 2014-15 से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित और जारी की गई तथा तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) सहित विभिन्न मध्यवर्तनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तेलंगाना सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएवंबी) तैयार किया जाता है। इसके बाद योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों और बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा एडब्ल्यूपीएंडबी का मूल्यांकन/अनुमोदन किया जाता है। तेलंगाना राज्य के लिए 736 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अनुमोदित किया गया है जिनमें मेडक जिले में 26 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शामिल हैं।

(ग): शिक्षा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III (समवर्ती सूची) में है और बहुसंख्य स्कूल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों/प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है। बालवाटिका और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से VIII तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों की है।

पीएम पोषण योजना के तहत, सभी पात्र बच्चों को स्कूल के सभी कार्य दिवसों पर पका हुआ गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंड इस प्रकार हैं:

मद	**प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए**	**उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए**
क. पोषण संबंधी मानदंड (प्रति बच्चा प्रति दिन)		

कैलोरी	450	700
प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
ख. खाद्य मानदंडों की मात्रा (प्रति बच्चा प्रति दिन)		
खाद्यान्न	100 ग्राम	150 ग्राम
दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
सब्जियां	50 ग्राम	75 ग्राम
तेल और वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
नमक और मसाला	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना में पीएम पोषण के तहत आच्छादित लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	**वर्ष**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	2021-22	17,90,747
2	2022-23	21,05,268
3	2023-24	18,88,988
4	2024-25	15,75,209
5	2025-26	14,49,608

तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गुणवत्ता और पोषण संबंधी मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं

- सभी पात्र छात्रों को बढ़िया चावल की आपूर्ति।
- सप्ताह में तीन बार अंडे का प्रावधान।
- सप्ताह में तीन बार रागी जावा की शुरूआत।
- राज्य, जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित गुणवत्ता निगरानी और निरीक्षण।
- स्कूलों में समय-समय पर खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्यकारिता और स्वच्छता का निरीक्षण।
- रसोइया-सह-सहायकों का प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि।
- पीएम पोषण के तहत खाद्यान्न की समय पर आपूर्ति और खाना पकाने की लागत।
- पीएम पोषण एमआईएस और क्षेत्र-स्तरीय पर्यवेक्षण के माध्यम से निरंतर निगरानी

अनुलग्नक

तेलंगाना में सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा के अंतर्गत धनराशि का उपयोग के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री माधवनेनी रघुनंदन राव द्वारा दिनांक 10/08/2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 301 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2014-15 से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित और जारी की गई तथा तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

सर्व शिक्षा अभियान				
क्र.सं.	**वर्ष**	**अनुमोदित केंद्रीय हिस्सा**	**जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा**	**उपयोग की गई निधियां (केंद्रीय हिस्सा + राज्य का हिस्सा)**
1	2014-15	1273.29	814.06	1044.26
2	2015-16	1000.40	217.76	688.07
3	2016-17	1112.22	417.76	1245.82
4	2017-18	1317.02	442.44	742.59
समग्र शिक्षा				
क्र.सं.	**वर्ष**	**अनुमोदित केंद्रीय हिस्सा**	**जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा**	**उपयोग की गई निधियां (केंद्रीय हिस्सा + राज्य का हिस्सा)**
1	2018-19	769.23	688.4	1085.61
2	2019-20	1095.24	1095.24	1340.98
3	2020-21	880.61	348.07	1061.92
4	2021-22	880.61	553.27	953.97
5	2022-23	1143.85	1142.41	1649.51
6	2023-24	1165.57	920.12	1754.03
7	2024-25	1162.71	988.78	1691.40
8	2025-26	1124.21	1086.41	1820.15

स्रोत: परियोजना अनुमोदन बोर्ड का कार्यवृत्त, पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) और प्रबंध (परियोजना मूल्यांकन, आय-व्यय का लेखा, उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग सिस्टम)
